भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 2622

उत्तर देने की तारीख: 04.08.2026

एलजीबीटीक्यूआईए से संबद्ध मामलों पर उच्च-स्तरीय समिति

2622. डॉ. शशि थरूर:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) समलैंगिक युगल और एलजीबीटीक्यूआईए+ व्यक्तियों के प्रति भेदभाव से निपटने तथा सेवाओं व कल्याणकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच को सुगम बनाने हेतु उपायों की जांच करने के लिए 'सुप्रियो बनाम भारत संघ' मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में गठित उच्च-स्तरीय समिति की वर्तमान स्थिति, कार्यक्षेत्र और विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ख) समिति द्वारा अप्रैल 2024 में इसके गठन के बाद से आयोजित बैठकों की तिथियों की विवरण सहित संख्या कितनी है;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और यदि नहीं, तो इसे प्रस्तुत करने की अनुमानित समय-सीमा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि उच्च-स्तरीय समिति के गठन को दो वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है और इसकी रिपोर्ट की अभी भी प्रतीक्षा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसकी अनुमानित समय-सीमा क्या है; और

(ड.) सरकार द्वारा समिति की रिपोर्ट लंबित रहने के दौरान, समलैंगिक युगल और एलजीबीटीक्यूआईए+ व्यक्तियों के प्रति भेदभाव को दूर करने तथा सार्वजनिक सेवाओं एवं कल्याणकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच को सुगम बनाने के लिए क्या अंतरिम उपाय किए गए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): समलैंगिक युगल और एलजीबीटीक्यूआईए+ व्यक्तियों के प्रति भेदभाव से निपटने तथा सेवाओं व कल्याणकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच को सुगम बनाने हेतु उपायों की जांच करने के लिए 'सुप्रियो बनाम भारत संघ' के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया गया है और इसकी अध्यक्षता

मंत्रिमंडल सचिव द्वारा की जा रही है। इस उच्च-स्तरीय समिति का कार्यक्षेत्र और विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

(i) समलैंगिक समुदाय को वस्तु और सेवाएं उपलब्ध कराने में कोई भेदभाव न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले उपाय;

(ii) ऐसे उपाय किए जाने चाहिए कि समलैंगिक समुदाय को हिंसा, उत्पीड़न या दबाव की किसी धमकी का सामना न करना पड़े;

(iii) यह सुनिश्चित करने के उपाय किए जाने चाहिए कि समलैंगिक लोगों को उनकी इच्छा के बिना चिकित्सा उपचार, सर्जरी आदि से न गुजरना पड़े; इसमें समलैंगिक लोगों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मॉड्यूल भी शामिल होने चाहिए;

(iv) यह सुनिश्चित करने के उपाय किए जाने चाहिए कि समलैंगिक लोगों को सामाजिक कल्याण पात्रताओं का लाभ मिलने में कोई भेदभाव न हो;

(v) कोई अन्य मुद्दे, जिन्हें आवश्यक समझा जाए।

(ख): अब तक, समिति की 21.05.2024 और 22.08.2024 को 02 बैठकें हो चुकी हैं।

(ग) और (घ): समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 'सुप्रियो उर्फ सुप्रिया चक्रवर्ती और अन्य बनाम भारत संघ' के मामले में अपने निर्णय में समिति के गठन का निर्देश तो दिया है, परंतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की है।

(ङ.): समलैंगिक युगल और एलजीबीटीक्यूआईए+ लोगों के साथ होने वाले भेदभाव को दूर करने और उन्हें सार्वजनिक सेवाओं व कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिए, समिति की रिपोर्ट आने तक सरकार द्वारा उठाए गए अंतरिम उपाय संलग्नक में दिए गए हैं।

एलजीबीटीक्यूआईए से संबद्ध मामलों पर उच्च-स्तरीय समिति के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2622, जिसका उत्तर दिनांक 04.08.2026 को दिया जाना है, के भाग (ड.) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक

समलैंगिक युगल और एलजीबीटीक्यूआईए+ लोगों के साथ होने वाले भेदभाव को दूर करने और उन्हें सार्वजनिक सेवाओं व कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिए, समिति की रिपोर्ट आने तक सरकार द्वारा उठाए गए अंतरिम उपाय इस प्रकार हैं:

i. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को एक एडवाइजरी जारी की है कि मौजूदा नियमों के अनुसार, समलैंगिक संबंधों में रहने वाले पार्टनर को राशन कार्ड के लिए एक ही परिवार का हिस्सा माना जाएगा। इसके अलावा, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से कहा गया है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करें कि राशन कार्ड जारी करने में समलैंगिक संबंधों वाले पार्टनर के साथ कोई भेदभाव न हो।

ii. वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) ने एक एडवाइजरी जारी की है कि समलैंगिक समुदाय के लोगों के लिए संयुक्त बैंक खाता खोलने पर कोई रोक नहीं है और साथ ही, खाताधारक की मृत्यु होने पर खाते में शेष राशि प्राप्त करने के लिए समलैंगिक संबंध वाले किसी व्यक्ति को नामित करने पर भी कोई रोक नहीं है।

iii. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों सहित सभी संबंधित हितधारकों को पत्र जारी किए हैं। इन पत्रों में एलजीबीटीक्यूआईए+ समुदाय के अधिकारों को सुनिश्चित करने के कई उपाय करने को कहा गया है, जैसे कि स्वास्थ्य देखभाल, जागरूकता कार्यक्रम, कन्वर्ज़न थेरेपी पर रोक, लिंग पुनर्निर्धारण सर्जरी की सुविधा, पाठ्यक्रम में बदलाव, टेली-कंसल्टेशन की सुविधा, विभिन्न स्तर के कर्मचारियों को जागरूक बनाना और प्रशिक्षण देना तथा नजदीकी रिश्तेदार या परिवार के सदस्य के उपलब्ध न होने पर शव का दावा करने की व्यवस्था करना।

iv. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों के स्वास्थ्य विभागों और अन्य संबंधित हितधारकों को उस विषय पर पत्र जारी किया है। इस पत्र का उद्देश्य एलजीबीटीक्यूआईए+ समुदाय के लिए स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना और उनके साथ होने वाले भेदभाव को कम करना है।

v. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ऐसे शिशुओं/बच्चों के लिए चिकित्सा उपायों के संबंध में दिशानिर्देश तैयार किए हैं, जिनमें लिंग से जुड़ी बनावट में अंतर (इंटरसेक्स) की स्थिति होती है, ताकि वे बिना किसी परेशानी के शारीरिक रूप से सामान्य जीवन जी सकें। मंत्रालय समलैंगिक समुदाय के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए दिशानिर्देश पर काम कर रहा है।
